न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1489/2026
(CNR No.UPBH01004009–2026)

1. दीपक पाल आयु 24 साल,
2. सर्वेश कुमार पाल आयु 22 साल,

} पुत्रगण–कन्हैया

निवासीगण–रामपुर, थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच।

3. हनुमान पाल आयु 32 साल पुत्र राम प्रताप पाल, निवासी होलपारा, थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच––– ––––आवेदक/अभियुक्तगण।

प्रति

उ०प्र० राज्य––– ––––अभियोजन पक्ष।

एवं
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1506/2026
(CNR No.UPBH01004025–2026)

कन्हैया उर्फ कन्धई आयु 45 वर्ष पुत्र मंगल, निवासी–होलपारा, थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच।
––––आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य––– ––––अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–103/2026,
धारा–127(2),352,351(3),324(5),316(2)बी०एन०एस०,
थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

28.07.2026

थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच के अपराध संख्या–103/2026, अन्तर्गत धारा–127(2), 352, 351(3), 324(5), 316(2) बी०एन०एस० के प्रकरण में अभियुक्तगण दीपक पाल, सर्वेश कुमार पाल व हनुमान पाल एवं कन्हैया उर्फ कन्धई की तरफ से पृथक–पृथक उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्रों के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।

उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही अपराध संख्या एवं घटना से सम्बन्धित हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों को एकीकृत किया जाता है, जिसमें से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1489/2026 अग्रणी रहेगा।

आवेदक/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों में यह कथन किया गया है कि उनके अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय पर प्रथम है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुई है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी सुखदेव के गांव के कंधई लाल ने उसके हाथ 2 बीघा भूमि गिरवी चालीस हजार रूपये में रखे थे, जिसमें वह केला की फसल लगा

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.28 14:43:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिया था। केला तैयार हो गया था, परन्तु कंधई लाल 2 बीघा उससे बेंचने के सम्बन्ध में 1,67,400/–रुपये आनलाइन खाता–21237901 पर पैसा लिये थे तथा 1,10,000/–रूपये कैश लिये थे, परन्तु अब न पैसा दे रहे हैं, न जमीन दे रहे हैं तथा केला की फसल में कुल लागत 02 लाख 50 हजार रूपया लगा था, परन्तु जबरन उक्त केला की फसल जोतवाकर केला काटकर गिरा दिये है। उसके पुत्र लाल विक्रम के मना करने पर पुत्र को दिनांक–16.06.2026 को समय करीब 12:00 बजे दिन में बांध दिये थे। दिनांक–19.06.2026 को समय करीब 03:00 बजे दिन मे विपक्षीगण कंधई लाल, मंगल, दीपक, सर्वेश व हनुमान से उक्त 2 लाख 50 हजार केला का नुकसान का मांगने गया, तो गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए पैसा देने से इन्कार कर दिये।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–21.06.2026 को समय 11:32 बजे आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संख्या–103/2026, अन्तर्गत धारा–127(2), 352, 351(3), 324(5), 316(2) बी०एन०एस० में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्रों में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनावश्यक विलम्ब है, जिसका कोई कारण दर्शित नहीं है। लगाई गई समस्त धाराओं में सजा का प्रावधान सात वर्ष तक का ही है और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनके नाम कोई जमीन नहीं है और न ही उनके विरुद्ध कोई पैसा लेने का आरोप है। सह–अभियुक्त कन्धई लाल के खाता में वादी द्वारा ऑनलाईन पैसा जमा किये जाने का आरोप लगाया गया है, जबकि सह–अभियुक्त कन्धई लाल के खाता में कोई भी आनलाईन पैसा वादी द्वारा नहीं डाला गया है। उसके विरुद्ध धारा–316(2) बी०एन०एस० का कोई अपराध नहीं बनता है। सह–अभियुक्त कन्धई लाल का मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं रहता है और वह दिन–रात शराब पीते हैं इसी का फायदा उठाकर वादी ने दिनांक–06.06.2026 को कन्धई को बहाने से ले जाकर अत्यधिक शराब पिलाई और उसकी गाटा संख्या–899 व 672 घ का बैनामा धोखे से कराने का प्रयास किया था, जिसपर आवेदक/अभियुक्तगण दीपक व सर्वेश की माँ तथा हनुमान की चाची द्वारा पुलिस को प्रार्थना–पत्र दिया गया तथा इसी क्रम में दिनांक–15.06.2026 को वादी, सह–अभियुक्त कन्धई लाल को जबरदस्ती घर से बुला ले गये और शराब पिलाकर जमीन का बैनामा जबरन लिखवावर हस्ताक्षर बनवाया, जानकारी होने पर पुलिस को प्रार्थना–पत्र दिया गया, तब पुलिस के द्वारा उक्त फर्जी बैनामे को रोकवाया गया और उसी दिन करीब 5 बजे वादी द्वारा आवेदक/अभियुक्त की माँ व चाची मीनू देवी से मार–पीट की गयी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक–18.06.2026 को मीनू देवी द्वारा थाने पर एफ०आई०आर० न लिखे जाने पर पुलिस अधीक्षक को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना–पत्र दिया और कार्यवाही न होने पर दिनांक–19.06.2026 को न्यायालय जे०एम०–5, बहराइच के यहाँ 173(4)बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना–पत्र श्रीमती मीनू बनाम सुखदेव दायर किया है, जो विचाराधीन है, जिसकी जानकारी होने पर वादी ने पुलिस से मिलकर झूंठी घटना दर्शाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने जमानत प्रार्थना–पत्रों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि आवेदक/अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी सुखदेव के पास दो बीघा भूमि चालीस हजार रुपये में गिरवी रखा, जिसमें वादी ने केला की फसल लगाया फिर आवेदक/अभियुक्त कन्धई लाल ने उक्त दो बीघा भूमि विक्रय करने के सम्बन्ध में वादी से एक लाख सरसठ हजार चार सौ रुपये आनलाइन खाता में प्राप्त किया। शेष एक लाख दस हजार रुपया नगद प्राप्त किया। वादी द्वारा कन्धई लाल से भूमि का बैनामा करने हेतु कहा गया, तो न पैसा वापस किया और न ही भूमि का बैनामा किया तथा केले की लगी फसल को जोतवाकर नष्ट कर दिया तथा वादी के पुत्र द्वारा विरोध किया गया, तो उसे बांधकर सदोष परिरोध में रखा गया। वादी द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण से उक्त केले की फसल के नुकसान के बावत दो लाख पचास हजार रुपये की मांग की गई, तो आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा उसे गालियां

देते हुए जान से मारने की धमकी देकर रुपये हड़पकर आपराधिक न्यास भंग किया गया। मामले की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। यदि आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान की गई, तो वे जमानत प्राप्ति उपरान्त विवेचना में सहयोग एवं जमानत की शर्तों का पालन नहीं करेंगे। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध यह अभियोग है कि उन्होंने अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी से दो बीघा भूमि विक्रय करने के सम्बन्ध में एक लाख सरसठ हजार रुपये जरिये आनलाइन खाता में तथा एक लाख दस हजार रुपये नगद प्राप्त कर लिया, किन्तु उक्त भूमि का बैनामा वादी को नहीं किया और वादी द्वारा बोई हुई केले की फसल को जोतवाकर नष्ट कर दिया। उसके पुत्र को बांधकर सदोष परिरोध में रखकर वादी को गालियां व जान से मारने की धमकी देकर उक्त रुपये हड़प कर आपराधिक न्यास भंग किया। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। रुपये के लेन–देन का विवाद है। अभियोजन द्वारा दौरान विवेचना धारा–35(3) बी०एन०एस०एस० के प्रावधानों के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पुलिस आख्या में आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अतः आवेदक/अभियुक्तगण दीपक पाल, सर्वेश कुमार पाल व हनुमान पाल एवं कन्हैया उर्फ कन्धई की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाते हैं। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक को 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये:–

1. मामले की विवेचना प्रचलित है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण मामले की विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यदि उनके विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाता है, तो वे मामले की प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।
2. अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथियों में साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
3. अभियुक्तगण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेंगे, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।
4. अभियुक्तगण, धारा–351 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
5. अभियुक्तगण, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
6. अभियुक्तगण उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

इस जमानत आदेश की एक प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1506/2026 पर रखी जाये।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनांक–28.07.2026 **Id No.–UP2017**